

UTTAR PRADESH SHASHAN
STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.02/2018/169/94-S.R.-2-2018700(965)/2016,Dated,12 February,2018

Notification

Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 2 of 1897) the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent shown in Column-3 of the Schedule below, chargeable in respect of the instrument as shown in Column-4 of the said Schedule for the Purposes Provided in Paragraph 1.2 of the Uttar Pradesh Information Technology and Start-up Policy 2017 and Paragraph 4.3 of the Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2017 of the State as mentioned in Column-2 of said Schedule.

Schedule

Paragraph numbers of the Uttar Pradesh Information Technology and Start-up Policy 2017	Purpose and other details	Extent of Remission	Nature of instrument and Article number of Schedule I-B
1	2	3	4
Paragraph 1.2	Exemption of stamp duty on Purchase/Lease of land/office space/buildings for It/ITeS use with condition of commencing Operations within 3 Years.	100%	Conveyance, under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35

Paragraph numbers of the Uttar Pradesh Information Technology and Start-up Policy 2017	Purpose and other details	Extent of Remission	Nature of instrument and Article number of Schedule I-B
1	2	3	4
Paragraph 4.3	Exemption of stamp duty on Purchase /Lease of land for establishment of individual ESDM units under EMZ. For Purchase /Lease of land for the establishment of EMCs/ESDM Parks, exemption of stamp duty on first transaction (Authority to Developer/SPV). Exemption of stamp duty on second transaction (Developer/SPV to ESDM Units).	100% 100% 100%	Conveyance, under clause (a) of Article 23 and Lease under Article 35

2. The remit under this notification shall be available if the District Magistrate or the General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign instrument as witness for the Purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said Policy.

By Order,

Himanshu Kumar
Pramukh Sachiv

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2018

विषय: भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15-11-2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 की उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2016 को " इण्डियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल्स 2016" निर्गत किये गये हैं जो देश में दूरसंचार के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना एवं विकास हेतु समयबद्ध रूप से, राइट ऑफ वे अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

2 भारत सरकार द्वारा निर्गत " भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016" के अध्याय 1 के प्रस्तर 4 उप-प्रस्तर (2) में निम्नवत् व्यवस्था है:-

3 भारत सरकार की उक्त अधिसूचना के क्रम में नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश द्वारा भूमिगत तार और संरचना की स्थापना और रख-रखाव (ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने हेतु) के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के प्रासंगिक शर्तों/नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शासनादेश सं0- 72/नौ79-18-161ज/12 दिनांक 08.02.2018 निर्गत किया गया है।

4 अतः भारत सरकार की उक्त अधिसूचना को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा एकरूपता के आधार पर अंगीकृत किए जाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाइल टावर की स्थापना एवं रखरखाव के लिए अनुमतियों/अनापत्तियों तथा ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों की ऑन लाईन प्राप्ति एवं उनके समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश एतद्वारा निर्गत किये जाते हैं:-

ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया

5 दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत करते हुए प्रदेश शासन के [विभागों/ प्राधिकरणों / संस्थाओं/ समितियों](#) इत्यादि द्वारा मोबाइल टावर की स्थापना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाइल टावर की स्थापना एवं रखरखाव के लिए अनुमतियों/अनापत्तियों हेतु एक ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया होगी।

‘सिंगिल विन्डो क्लीयरेंस’

6 इस ऑन लाईन आवेदन प्रक्रिया के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एक ऑन लाईन पोर्टल विकसित कराया जायेगा जो ‘सिंगिल विन्डो क्लीयरेंस’ के रूप में होगा तथा इसके माध्यम से आवेदन की प्रस्तुति एवं उनका निस्तारण सम्बन्धित

विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा समयबद्ध रूप से किया जायेगा। आवेदन का प्रारूप आईटी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा, तथा इसमें आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाली सूचनाओं/अभिलेखों/अनापत्तियों को भी स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु एकसमान रूप से लागू

7. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भूमिगत तार और संरचना तथा भूमि के ऊपर तार अवसंरचना/मोबाइल टावर की स्थापना एवं रख रखाव के लिए जिन शासकीय विभागों/अनापत्तियों के लिए ऑन लाईन आवेदन एवं उनके समयबद्ध निस्तारण की यह एकल प्रक्रिया राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास, लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि पर उनके सुसंगत नियमों के अन्तर्गत एकसमान रूप से लागू होगी। वन विभाग, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में जो प्रतिबन्ध सुझाये गये हैं, उन्हें उनके द्वारा आवेदक को प्रदान की जाने वाली अनुमतियों में प्रतिबन्धों के अन्तर्ग सम्मिलित किया जायेगा।

8. भारत सरकार की अधिसूचना में अधिनियम से सम्बन्धित परिभाषायें, स्थानीय प्राधिकारी आदि द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया जाना, विवादों समाधान, किए जाने वाले कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले किसी नुकसान के पुनर्स्थापन, तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा तार अवसंरचना के हटाये जाने या परिवर्तित किए जाने की प्रक्रिया हेतु व्यवस्था दी गई है तथा आवेदनों हेतु एक-समान शुल्क एवं आवेदनों के निस्तारण हेतु समयबद्धता का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 के अध्याय-2 के प्रस्तर 6(2) तथा अध्याय-3 के प्रस्तर 10(3) में आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित, “आवेदन की तारीख से 60 (साठ) दिवसों से अनधिक की अवधि” को उत्तर के परिप्रेक्ष्य में “आवेदन की तारीख से 45 (पैंतालिस) दिवसों से अनधिक की अवधि” पढ़ा जाये। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किया जाना होगा।

9. नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 08.02.2018 के अन्तर्गत आच्छादित नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों हेतु राज्य विधायिका द्वारा गठित समस्त विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों/पंचायतों, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, अन्य शासकीय विभागों इत्यादि द्वारा, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.11.2016 (परिशिष्ट-1) द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को अंगीकृत करते हुए पूर्व में निर्गत शासनादेशों/मार्गनिर्देशों/नियमावलियों में आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन सुनिश्चित कराये जायेंगे।

10. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिए) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 की अधिसूचना संख्या 1126/78-आईटी-1-2001-81इले-98-टीसी, दिनांक 03 नवम्बर, 2001 तथा स्थानीय प्राधिकारियों की भूमि पर “ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की विज्ञप्ति संख्या 1508/78-आईटी-1-2001, दिनांक 03 नवम्बर, 2001 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को एतद्वारा अवक्रमित समझा जाये।

11. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियमों में किन्हीं संशोधनों के फलस्वरूप उक्त दिशा-निर्देशों को यथासमय संशोधित किया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)

मुख्य सचिव

संख्या:—36 / 2018 / 852(1)78—1—2018 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समाज कल्याण आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० ।
5. निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागयी मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० ।
6. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० ।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश ।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ ।
11. महालेखाकार, लेखा परीक्षा — प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद ।
12. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ ।
13. गोपन अनुभाग—1
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव ।

संचार मंत्रालय
(दूर संचार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2016

सा.का.नि. 1070(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 10,12 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भूमिगत अवसंरचना (ऑप्टिकल फाइबर) और भूमि के ऊपर अवसंरचना (मोबाइल टावर) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं:— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) अभिप्रेत है;
(ख) “समुचित प्राधिकारी” से केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी या ऐसे समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन तार अवसंरचना जिन्हें स्थापित किया जाना है या जिनका रख-रखाव किया जाना है, के अधीन, के ऊपर, के साथ, के सामने उसमें या उस पर संपत्ति के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित ऐसे प्राधिकारी, निकाय, कंपनी या संस्था अभिप्रेत है;
(ग) “राज्य सरकार” से अधिकारिता रखने वाली राज्य सरकार और जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है, अभिप्रेत है;
(घ) “अनुज्ञप्तिधारी” से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण करने वाला अभिप्रेत है;
(ड.) “भूमि के ऊपर तार अवसंरचना” से भूमि के ऊपर स्थापित तार या तार लाईन अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत तार या तार लाईन के स्थापना या रख-रखाव के प्रयोजन के लिए चौकियां या भूमि के ऊपर अन्य प्रयुक्तियां, साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है;
(च) “नियम” से भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 अभिप्रेत है;
(छ) “भूमिगत तार अवसंरचना” से भूमि के भीतर बिछी हुई तार लाईन अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत तार लाइन के स्थापना या रख-रखाव के प्रयोजन के लिए मेन-होल, मार्कर- पत्थर, साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है;
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं।
3. लागू होना — समुचित प्राधिकारी इस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए किसी अनुज्ञप्तिधारी जिसे अधिनियम की धारा 19ख के अधीन अधिसूचना द्वारा तार प्राधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं, द्वारा भूमिगत या भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापना और रख-रखाव के लिए आवेदन पर इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।
4. स्थानीय प्राधिकारी, आदि द्वारा नोडल अधिकारी पदाभिहित किया जाना —

- (1) प्रत्येक समुचित प्राधिकारी इन नियमों के प्रयोजनों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।
- (2) समुचित प्राधिकारी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर एक इलैक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया विकसित करेंगे। परंतु यह कि राज्य सरकार स्वविवेकानुसार इसके नियंत्रणाधीन सभी समुचित प्राधिकारियों के लिए एक एकल इलैक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया स्थापित कर सकेगी।

अध्याय-2

भूमिगत तार अवसंरचना का स्थापना और रख-रखाव

5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन – (1) अनुज्ञप्तिधारी, किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन तार अवसंरचना के स्थापना के प्रयोजन के लिए, उस समुचित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, वाले ऐसे प्रारूप और रीति में उस प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों द्वारा समर्थित आवेदन कर सकेगा।
- (2) उप नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले समर्थक दस्तावेजों के साथ सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—
 - i. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति;
 - ii. बिछाए जाने के लिए प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के ब्यौरे;
 - iii. कार्य के निष्पादन के लिए ढंग और समय अवधि;
 - iv. उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी दिन की किसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है दिन का वह समय जब ऐसा कार्य किया जाना अपेक्षित है;
 - v. व्ययों के ब्यौरे जिसे ऐसा समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा;
 - vi. असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और ऐसी सुविधा को कम करने के लिए उठाए जाने के लिए प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय;
 - vii. कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित विनिर्दिष्ट उपाय;
 - viii. कोई अन्य सुसंगत मामला जो अनुज्ञप्तिधारी की राय में किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्य से सहबद्ध या सुसंगत हो;
 - ix. केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए गए कार्य में सहबद्ध या संबंधित कोई अन्य मामला;

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन करते समय, कि क्या वह नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के युक्तियुक्त और प्रज्ञायुक्त विस्तार तक प्रत्यास्थापना के लिए दायित्व के निर्वहन का जिम्मा लेता है, पर विनिर्दिष्ट अभिबंधन देगा।

- (3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा।

परंतु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगी।

6. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा का प्रदान किया जाना—

(1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात्:—

(क) प्रस्तावित भूमिगत तार अवसंरचना के लिए योजनाबद्ध मार्ग और किसी अन्य लोक अवसंरचना जो प्रस्तावित मार्ग के साथ बिछाई जानी है, के साथ ऐसी तार अवसंरचना के या तो स्थापना या रख-रखाव में संभाव्य बाधा;

(ख) निष्पादन की रीति;

(ग) कार्य के निष्पादन की समयावधि और दिन का वह समय जब प्रस्तावित कार्य निष्पादित किया जाना है;

(घ) व्ययों जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, का प्राक्कलन;

(ङ.) कोई नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन का दायित्व;

(च) लोक सुरक्षा और असुविधा जो प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप लोक को कारित होना संभाव्य, को सुनिश्चित करने हेतु उपायों और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा में कमी करने हेतु उपायों का निर्धारण;

(छ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापना या रखरखाव से सहबद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला;

(2) समुचित प्राधिकारी नियम 5 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से साठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा—

(क) ऐसी शर्तों पर जिसके अंतर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहतु हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा; या

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, आवेदन अस्वीकार करना:

परन्तु यह कि कोई आवेदन, आवेदक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी अस्वीकारी के कारणों पर सुनवाई की अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी यदि समुचित प्राधिकारी या तो (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने में असफल हो जाता है या (ख) के अधीन अस्वीकार कर देता है; और इसे अनुज्ञा प्रदान किया जाना समझे जाने के पांच दिवसों से अनधिक आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा।

(3) जहां समुचित प्राधिकारी, नुकसानी जो समुचित प्राधिकारी द्वारा कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा समुचित प्राधिकारी आवश्यक रूप से अधिरोपित करेगा, के प्रत्यास्थापन के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए वचनबंध को स्वीकार करता है, समुचित प्राधिकारी उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करते समय दायित्व के निर्वहन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी नुकसानी के प्रत्यावर्तन के लिए व्ययों के स्थान पर रकम के लिए बैंक प्रत्याभूति चाह सकेगा।

(4) समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापना के लिए कोई फीस जो नियम (5) के उप नियम (3) और उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन विहित से भिन्न है, प्रभारित नहीं करेंगे।

7. कार्य का जिम्मा लेने में अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता:—

(1) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञा प्रदान करने की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर और भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य प्रारंभ करने से पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित व्ययों का संदाय या बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि समुचित प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार ऐसा विस्तार चाहने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर व्ययों के संदाय और बैंक प्रत्याभूति के प्रस्तुत करने की उक्त अवधि का विस्तार कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(क) भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व और कार्य के निष्पादन के दौरान पूरे समय, लोक असुविधा कम करने के और लोक सुरक्षा प्रदान करने के उपाय क्रियान्वित किए जाए और

(ख) भूमिगत तार अवसंरचना बिछाने का कार्य समुचित सरकार द्वारा अनुज्ञा के प्रदान करने में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया गया है;

(3) अनुज्ञप्तिधारी, उसकी अवस्थिति पर वास्तविक समय सूचना प्राप्त करने के लिए समुचित प्राधिकारी को समर्थ बनाने हेतु सभी भूमिगत तार अवसंरचनाओं की समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से, स्थितीय आसूचना के उपबंध सुनिश्चित करेगा।

8. कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए समुचित प्राधिकारी की शक्ति:-

(1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाता है, कार्य के निष्पादन का पर्यवेक्षण कर सकेगा;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्त जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 6 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत बैंक प्रत्याभूति को पूर्णतः या भागतः समपहृत कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय-3

भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापना

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन - (1) अनुज्ञप्तिधारी, किसी समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या के अधीन किसी स्थावर संपत्ति पर भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापना के प्रयोजन के लिए ऐसे दस्तावेजों से समर्थित आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति से जो समुचित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए, उस समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन में समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रदान की जाने वाली सूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा -

- i. केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की प्रति;
- ii. चौकी या उपरोक्त वृत्ताकार प्रयुक्ति जिसका स्थापन किया जाना प्रस्तावित है, की प्रकृति और अवस्थिति, जिसके अंतर्गत सटीक अक्षांश और देशांतर रेखांश भी है;
- iii. भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार;
- iv. भवन या संरचना के ब्यौरे, जहां भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापना किया जाना प्रस्तावित है;
- v. रेडियों तरंगों या हर्टजियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति;

- vi. कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि;
- vii. असुविधा जो लोक को कारित होना संभाव्य है और विनिर्दिष्ट उपाय जो ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित है;
- viii. कार्य के निष्पादन के दौरान लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपाय;
- ix. चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की तकनीकी परिकल्पना और रेखाचित्र के ब्यौरे;
- x. भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र;
- xi. भवन की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा प्रमाणपत्र, जहां चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियां भवन पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है;
- xii. किए गए आवेदन की बाबत पत्र व्यवहार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों के नाम और संपर्क ब्यौरे;
- xiii. जिम्मे लिए गए प्रस्तावित कार्य से सहबद्ध या के संबंध में, अनुज्ञप्तिधारी की राय में कोई अन्य सुसंगत मामला;
- xiv. केन्द्रीय सरकार या समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश के माध्यम से कार्य जिसे विनिर्दिष्ट किया जाए, से सहबद्ध या से सुसंगत कोई अन्य मामले;

(3) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदन और प्रस्तावित कार्यों की परीक्षा के लिए प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी फीस जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा उचित समय के साथ किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए एक बारगी फीस एक हजार रूपयों से अधिक नहीं होगी।

10. समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा प्रदान किया जाना – (1) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित प्राचलों की बाबत आवेदन की परीक्षा करेगा, अर्थात्:—

- (क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के लिए अपेक्षित भूमि का विस्तार;
- (ख) प्रस्तावित अवस्थिति;
- (ग) रेडियों तरंगों या हर्टजियन तरंगों के संचरण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि प्रयुक्ति की अवस्थिति के लिए केन्द्रीय सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन की प्रति;
- (घ) कार्य के निष्पादन का ढंग और समय अवधि;
- (ङ.) व्ययों का प्राक्लन जिसे ऐसा समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा;
- (च) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापना या रख-रखाव के परिणामस्वरूप लोक को कारित संभाव्य असुविधा का निर्धारण और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपदर्शित ऐसी असुविधा को कम करने के उपाय;
- (छ) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर द्वारा तकनीकी परिकल्पना का प्रमाणपत्र;
- (ज) भवन जिस पर चौकी या अन्य उपरोक्त भूमि प्रयुक्तियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है की संरचना सुरक्षा को अनुप्रमाणित करने वाले संरचना इंजीनियर का प्रमाणपत्र;
- (झ) केन्द्रीय सरकार, समुचित राज्य सरकार या समुचित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना बिछाने, के स्थापना

या रखरखाव से सहबद्ध या संबंधित, अधिनियम और उन नियमों के उपबंधों से संगत कोई अन्य मामला;

(2) जहां भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन, स्थावर संपत्ति जिस पर ऐसी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का स्थापन किया गया है, समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित है, जिसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना असंभाव्य है, समुचित प्राधिकारी ऐसी दरों पर जो समुचित प्राधिकारी साधारण आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, निर्धारित स्थावर संपत्ति के मूल्य के लिए प्रतिकर का, या तो एक बार या वार्षिक रूप से, हकदार होगा।

(3) समुचित प्राधिकारी नियम 9 के अधीन किए गए आवेदन की तारीख से आठ दिवसों से अनधिक की अवधि के भीतर निम्नलिखित करेगा—

(क) ऐसी शर्तों पर जिसके अंतर्गत समय, निष्पादन की रीति, लोक असुविधा में कमी करने के उपाय या लोक सुरक्षा में वृद्धि और प्रत्यास्थापित भार की संदाय, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, भी है लेकिन इन तक सीमित न रहते हुए, अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए अनुज्ञा प्रदान करेगा;

(ख) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, आवेदन स्वीकार करना;

परंतु यह कि कोई आवेदन, आवेदक अनुज्ञप्ति को ऐसी अस्वीकारी के कारणों पर सुनवाई की अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी यदि समुचित प्राधिकारी या तो (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने में असफल हो जाता है या (ख) के अधीन आवेदन अस्वीकार कर देता है; और इसके अनुज्ञा प्रदान किया जाना समझे जाने के पांच कार्य दिवसों से अनधिक आवेदक को लिखित में संसूचित करेगा

(4) समुचित प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से भूमिगत तार अवसंरचना के स्थापना के लिए कोई फीस जो नियम (9) के उप नियम (3) और उप नियम के खंड (क) के अधीन विहित से भिन्न है, प्रभारित नहीं करेंगे।

11. अनुज्ञप्तिधारी के कार्य जिम्मे लेने में बाध्यकाएं—(1) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापना और रख-रखाव के प्रारंभ होने के पहले और पूरे समय लोक सुविधा में कमी के उपाय और लोक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत ऐसे भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा भी है, सुनिश्चित करना कार्यान्वित करे

(ख) भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापन और रख-रखाव का कार्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसरण में किया जाए।

12. समुचित प्राधिकारी की कार्य के पर्यवेक्षण की शक्ति—(1) समुचित प्राधिकारी, यह अभिनिश्चित करने के लिए क्या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने पर अधिरोपित शर्तों को पालन किया जाता है, भूमि के ऊपर तार अवसंरचना के स्थापना और रख-रखाव का पर्यवेक्षण कर सकेगा;

(2) समुचित प्राधिकारी, ऐसे पर्यवेक्षण के आधार पर ऐसी अन्य युक्तियुक्त शर्त जैसा वह उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

(3) यदि समुचित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि अनुज्ञप्तिधारी ने नियम 10 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की किसी शर्त का जानबूझकर अतिक्रमण किया है, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त अनुज्ञा प्रत्याहृत कर सकेगा।

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय-4

समुचित प्राधिकारी के भूमिगत और भूमि के ऊपर तार अवसंरचना का हटाया जाना चाहने का अधिकार

13. समुचित प्राधिकारी का हटाया जाना चाहने, इत्यादि का अधिकार—(1) जहां समुचित प्राधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो उस समुचित प्राधिकारी के नियंत्रण या प्रबंध में निहित या उसके अधीन किसी स्थावर संपत्ति के अधीन, उस पर, उसके साथ, उसके सामने, उसमें या उसके ऊपर किसी भूमिगत या भूमि के ऊपर स्थापना के उत्पन्न हुई हैं, यह विचार करता है कि ऐसी तार अवसंरचना को हटाया जाना या परिवर्तित करना आवश्यक और समीचीन है वह ऐसी तार अवसंरचना का स्वामी होते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अवस्थिति हटाने या परिवर्तित करने हेतु नोटिस जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी तत्काल और तीस दिवस की अवधि के भीतर, ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या उसके परिवर्तन के लिए विस्तृत योजना समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(3) समुचित प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत योजना की परीक्षा के पश्चात् ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे, पारित करेगा।

परंतु यह कि समुचित प्राधिकारी, ऐसी तार अवसंरचना को हटाए जाने या परिवर्तित के जाने के लिए अपेक्षित आपातक और समीचीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी तार अवसंरचना को हटाने या परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी को नब्बे दिवसों से अन्यून युक्तियुक्त समय देगा:

अध्याय-4

विवादों का समाधान

14. अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य विवाद— (1) इन नियमों के परिणाम स्वरूप अनुज्ञप्तिधारी और समुचित प्राधिकारी के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर, उप नियम (1) के अधीन विवादों को निर्दिष्ट करने के प्रायोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, अधिकारी को ऐसी अधिकारिता के साथ जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, पदाभिहित करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवादों का अवधारण साठ दिवसों से अनधिक की अवधि में ऐसी रीति से जैसी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, करेगा।

(फा.सं. 2-6 / 2014-नीति-1(जिल्द-2))

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2016

G.S.R. 1070 (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules to regulate underground infrastructure (optical fibre) and overground infrastructure (mobile towers), namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of way Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);
 - (b) "appropriate authority" means the Central Government, respective State Governments, Local authority or such authority, body, company or installation incorporated or established by the Central Government or the State Government, in respect of property, under, over, along, across, in or upon which underground or overground telegraph infrastructure, is to be established or maintained, vested in, or under, the control or management of such appropriate authority;
 - (c) "State Government" means the State Government having Jurisdiction, and includes the administration of Union territory;
 - (d) "Licensee" means any person holding a licence issued under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (e) "Overground telegraph telegraph infrastructure" means a telegraph or a telegraph line establishment or maintenance of the telegraph line.
 - (f) "rule" means the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016.
 - (g) "underground telegraph infrastructure" means a telegraph line laid under the ground and includes manholes, marker stones, applications and apparatus for the purposes of establishment or maintenance of the telegraph line.
2. Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.
3. **Applicability.**- The Appropriate authority shall exercise the powers under these rules on an application for establishment and maintenance of underground or overground telegraph infrastructure by any licensee on

whom the powers of the telegraph authority have been conferred by notification under section 19B of the Act, subject to any conditions and restrictions as may be imposed in such notification.

4. **Nodal officer to be designated by local authority, etc.**-(1) Every appropriate authority shall designate a nodal officer for the purposes of these rules.

(2) The appropriate authority shall develop an electronic application process within a period of one year from the date of coming into force of these rules for submission of applications:

Provided that the State Government may at its discretion establish a single electronic application process for all appropriate authorities under its control.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

5. Application by a licensee.- (1) A licensee shall, for the purposes of establishment of telegraph infrastructure under any immovable property vested in or under the control or management of any appropriate authority, make an application, supported by such document, to that authority in such form and manner as may be specified by that appropriate authority.

(2) The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under sub-rule (1) shall include-

- (i) a copy of the licence granted by the central Government.
- (ii) the details of underground telegraph infrastructure proposed to be laid;
- (iii) the mode of and the time duration for, execution of the work;
- (iv) the time of the day when the work is expected to be done in case the licensee expects the work to be done during specific time of the day;
- (v) the details of expenses that such appropriate authority will necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken by the licensee;
- (vi) the inconvenience that is likely to be caused to the public safety during the execution of the work;
- (vii) any other matter relevant, in the opinion of the licensee, connected with or relative to the work proposed to be undertaken; and
- (ix) any other matter connected with or related to the work as may be specified, through a general or special order, by the central Government or appropriate State Government or appropriate local authority:

Provided that the licensee shall, while making the application, give a specific commitment on whether he undertakes to discharge the responsibility for restoration, to the extent reasonable and prudent, of the

damage that the appropriate State Government or appropriate local authority:

(3) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and the proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit:

Provided that such fee to meet administrative expenses shall not exceed one thousand rupees per kilometer.

6. **Grant of permission by appropriate authority.**- (1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely:-

- (a) The route planned for the proposed underground telegraph infrastructure and the possible interference, either in the establishment or maintenance of such telegraph infrastructure, with any other public infrastructure that may have been laid along the proposed route;
- (b) The mode of execution;
- (c) the time duration for execution of the work and the time of the day that work is proposed to be executed;
- (d) the estimation of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
- (e) the responsibility for restoration of any damage that the appropriate authority may necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
- (f) assessment of measures to ensure public safety and inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the work proposed and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;
- (g) Any other matter, consistent with the provisions of the Act and these rules, connected with or relative to the establishment or maintenance of underground telegraph infrastructure, through a general or special order, by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority.

(2) The appropriate authority shall within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 5-

- (a) Grant permission on such conditions including, and not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety and payment of restoration charge, as may be specified, subject to the provisions of the Act and these rules; or
- (b) Reject the application for reasons to be recorded in writing.

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection;

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if appropriate authority fails to either grant permission under (a) or reject the application not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

(3) Where the appropriate authority accepts the undertaking by the licensee to discharge the responsibility to restore the damage that such appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work, the appropriate authority, while granting permission under clause (a) of sub-rule (2), may seek a bank guarantee for an amount in lieu of expenses for restoration of such damage, as security for performance in the discharge of the responsibility.

(4) The appropriate authority shall not charge any fee other than those prescribed under sub-rule (3) of rule 5 and clause (a) of sub-rule (2) from the licensee for establishing underground telegraph infrastructure.

7. Obligations of licensee in undertaking work- (1) the licensee shall make the payment of expenses or submit the bank guarantee as determined by the appropriate authority within a period of thirty days from the date of grant of permission and prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure.

Provided that the appropriate authority may, at its discretion, extend the said period for payment of expenses or submission of bank guarantee on an application made by the licensee seeking such extension.

(2) The licensee shall ensure that-

- (a) Prior to the commencement of work of laying the underground telegraph infrastructure and at all times during the execution of work, the measures to mitigate public inconvenience and provide for public safety are implemented; and
- (b) The work of laying underground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

(3) The licensee shall ensure provision of positional intelligence, through appropriate technology, of all underground telegraph infrastructures to enable the appropriate authority to obtain real time information on its location.

8. Powers of appropriate authority to supervise the work-(1) The appropriate authority may supervise the execution of work to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under clause (a) of sub-rule (2) of rule 6 are observed by the licensee.

(2) The appropriate authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions as it may think fit.

(3) If the appropriate authority comes to the conclusions that the licensee has willfully violated any of the conditions for grant of permission under clause (a) of sub-rule (2) of rule 6, it may forfeit, in full or in part, the bank guarantee submitted by the licensee and withdraw the permission granted to the licensee, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the licensee has been given an opportunity of being heard.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

9. Application by a licensee.- (1) A licensee shall, for the purposes of establishing overground telegraph infrastructure, upon any immoveable property vested in or under the control or management of any appropriate authority, make an application, supported by such document, to that appropriate authority in such form and manner as may be specified by that appropriate authority.

(2). The information along with supporting documents to be provided by the licensee in the application made under sub-rule (1) shall include-

- (i) a copy of the licence granted by the central Government;
- (ii) the nature and location, including exact latitude and longitude, of post or other above ground contrivances proposed to be established;
- (iii) the extent of land required for establishment of the overground telegraph infrastructure, is proposed;
- (iv) the details of the building or structure, where the establishment of the overground telegraph infrastructure, is Proposed;
- (v) the copy of approval issued by the duly authorised officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for the transmission of Radia waves or Hertzian waves;
- (vi) the mode of and the time duration for, execution of the work;
- (vii) the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specified measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;
- (viii) the measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;
- (ix) the detailed technical design and drawings of the post or other ground contrivances;
- (x) certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety, of the overground telegraph infrastructure;
- (xi) the names and contact details of the employees of the licensee for the purposes of communication in regard to the application made;

- (xii) the names and contact details of the employees of the licensee for the purposes of communication in regard to the application made;
- (xiv) any other matter connected with or relevant to the work as may be specified, through a general or special order, by the central Government or appropriate State Government or appropriate local authority.

(3) Every application under sub-rule(1) shall be accompanied with such fee to meet administrative expenses for examination of the application and proposed work as the appropriate authority may, by general order, deem fit;

Provided that the one-time fee, to meet administrative expenses, accompanying every application shall not exceed ten thousand rupees.

10. Grant of permission by appropriate authority- (1) The appropriate authority shall examine the application with respect to the following parameters, namely;

- (a) the extent of land required for the over ground telegraph infrastructure;
- (b) the location proposed;
- (c) the approval issued by the duly authorized officer of the Central Government for location of the above ground contrivances proposed to be used for transmission of Radio waves or Hertzian waves;
- (d) the mode of and time duration for execution of the work;
- (e) the estimate of expenses that the appropriate authority shall necessarily be put in consequence of the work proposed to be undertaken;
- (f) assessment of the inconvenience that the public is likely to be put to in consequence of the establishment or maintenance of the overground telegraph infrastructure, and the measures to mitigate such inconvenience indicated by the licensee;
- (g) Certification of the technical design by a structural engineer attesting to the structural safety of the overground telegraph infrastructure;
- (h) Certification, by a structural engineer, of the structural safety of the building on which the post or other above ground contrivances is proposed to be established;
- (i) any other matter, consistent with the provision of the Act and these rules, connected with or related to the laying of overground telegraph infrastructure, through a general or special order or guidelines by the Central Government, appropriate State Government or the appropriate local authority;

(2) Where the establishment of the overground telegraph infrastructure renders the immoveable property, vested in the control or management of any appropriate authority over which such overground telegraph infrastructure is established, unlikely to be used for any other purpose, the appropriate authority shall be entitled to compensation for the value of the immoveable property, either once or annually assesses on such rates that appropriate authority may, by general order, specify.

(3) The appropriate authority shall, within a period not exceeding sixty days from the date of application made under rule 9-

(a) grant permission on such conditions including, but not limited to, the time, mode of execution, measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety or structural safety and payment of restoration charge or compensation, subject to the provisions of the Act and these rules; or

(b) reject the application for reason to be recorded in writing;

Provided that no application shall be rejected unless the applicant licensee has been given an opportunity of being heard on the reasons for such rejection;

Provided further that the permission shall be deemed to have been granted if the appropriate authority fails to either grant permission under clause (a) or reject the application under clause (b) and the same shall be communicated in writing to the applicant not later than five working days after permission is deemed to have been granted.

(4) The appropriate authority shall not charge any fee other than those mentioned under sub-rule (3) of rule 9 and clause (a) of sub-rule (3) from the licensee for establishing overground telegraph infrastructure.

11. Obligations of licensee in understanding work. – (1) The licensee shall ensure that-

(a) Prior to the commencement of establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure and at all times, the measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety, including structural safety of such overground telegraph infrastructure are implemented;

(b) the work of establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure is carried out in accordance with the conditions specified in the grant of permission by the appropriate authority.

12. Powers of appropriate authority to supervise the work.- (1) The Appropriate authority may supervise the establishment and maintenance of overground telegraph infrastructure to ascertain if the conditions imposed in the grant of permission under clause (a) of sub-rule (3) of rule 10 are observed by the licensee.

(2) The appropriate authority may, on the basis of such supervision, impose such other reasonable conditions, as it may think fit.

(3) If the appropriate authority comes to the conclusion that the licensee has willfully violated any of the conditions for grant of permission under clause (a) of sub-rule (3) of rule 10, it may withdraw, for reasons to be recorded in writing, the permission granted to the licensee:

Provided that no action shall be taken under this sub-rule unless the licensee has been given an opportunity of being heard.

CHAPTER IV

RIGHT OF APPROPRIATE AUTHORITY TO SEEK REMOVAL OF UNDERGROUND OR OVERGROUND TELEGRAPH INFRASTRUCTURE

13. Right of appropriate authority to seek removal, etc.-(1) Where the appropriate authority, having regard to circumstances which have arisen since the establishment of any underground or overground telegraph infrastructure under, over, along, across, in or upon, any immoveable property vested in or under the control or management of that appropriate authority, considers that it is necessary and expedient to remove or alter such telegraph infrastructure, it shall issue a notice to the licensee, being the owner of such telegraph infrastructure, to remove or alter its location.

(2) on receipt of the notice under sub-rule (1), the licensee shall, forthwith and withing a period of thirty days. Proceed to submit, to the appropriate authority , a detailed plan for removal or alternation of such telegraph infrastructure.

(3) The Appropriate authority shall, after examination of the detailed plan submitted by the licensee under sub-rule (2), pass such orders as it deems fit:

Provided that the appropriate authority shall, having regard to emergent and expedient circumstances requiring the removal or alternation of such telegraph infrastructure, give a reasonable time of not less than ninety days to the licensee for removal or alternation of such telegraph infrastructure:

Provided further that the responsibility and liability, including the cost thereof, for removal or alternation of such telegraph infrastructure shall be borne by the licensee.

CHAPTER V

DISPUTE RESOLUTION

14. Disputes betwwn licensee and appropriate authority.- (1) Any dispute arising between a licensee and the appropriate authority in consequence of these rules, shall be referred to the officer designed by the Central Government.

(2) The Central Government shall, within a period of sixty days from the date of coming into force of these rules, designate, by notification, officers with such jurisdiction as may be mentioned in the notification, for the purpose to referring disputes under sub-rule (1).

(3) The officer designed by the Central Government shall determine the disputes referred to in sub-rule (1) within a period not exceeding sixty days in such manner as may be specified by the central Government form time to time.

[F.No. 2-6/2014- Policy-I (vol.II)]
SHASHI RANJAN KUMAR, JT. Secy.